

प्रेषक,

जी० के० टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर तथा बलिया।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 06 जून, 2008

विषय :- वर्ष 2007-08 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु अवशेष धनराशि के रिवाँलीडेट तथा आवंटन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि अधीक्षण अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-310/काप्रअ/ अनिबाम/यू-7/ एफ-1, दिनांक 21 मई, 2008 द्वारा वर्ष, 2007 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुनर्स्थापना/ अनुरक्षण/ मरम्मत कार्य हेतु आपदा राहत निधि के लिए लागू प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन शासनादेश संख्या-4410/1-10-2007-12(73)/2007, दिनांक 24 अक्टूबर, 2007 तथा शासनादेश संख्या-5472/1-10-2007-12(73)/2007, दिनांक 26 दिसम्बर, 2007 द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की अवशेष धनराशि के रिवाँलीडेट प्रस्ताव के आधार पर रु० 10.00 लाख से ऊपर की संलग्न परियोजनाओं की सूची के अनुसार कुल धनराशि रु० 28,58,55,000/- (रुपये अट्ठाइस करोड़ अठावन लाख पच्चपन हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03 -राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रत्येक परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अब तक अवमुक्त धनराशि को घटाते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त करेंगे तथा अवशेष कार्य दिनांक 30.6.2008 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के अवशेष कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही है। पूर्व में परियोजनावार स्वीकृत किये गये कार्यों में किसी प्रकार का विचलन गम्भीर अनियमितता माना जायेगा। यदि पूर्व में स्वीकृत परियोजना तथा रिवाँलीडेट तथा



आवंटित धनराशि में कोई भिन्नता हो तो शासन के संज्ञान में लाते हुए दिशा निर्देश अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाय।

5. आपदा राहत निधि से तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य मरम्मत कार्यों पर ही धनराशि व्यय की जाय। उक्त स्वीकृत धनराशि से उन्हीं परियोजनाओं को पूर्ण किया जाय जो प्रारम्भ हो चुकी हैं। जिन परियोजनाओं पर कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है उस पर धनराशि कदापि न व्यय की जाय। आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स के अनुसार नये निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं हैं। अतः स्वीकृत धनराशि केवल वर्ष 2007 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुनर्स्थापना / अनुरक्षण / मरम्मत कार्यों की परियोजनाओं पर ही व्यय की जाय। मरम्मत कार्यों की परियोजनाओं पर व्यय होने वाली धनराशि की सूची मा0 जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

6. अधिसंरचना सम्बन्धी कार्यों का प्राक्कलन कार्यदायी संस्था द्वारा विभागीय मानकों / लोक निर्माण विभाग शेड्यूल रेट के अनुसार किया जायेगा जिस पर जिलाधिकारी, जिला आपदा राहत समिति के अनुमोदन उपरान्त कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे। कार्य की सतत निगरानी / गुणवत्ता हेतु मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से तकनीकी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्क फोर्स की टीम भी गठित करेंगे जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्क फोर्स के माध्यम से कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जॉच आख्या शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। जांच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं की पूर्ण सूचना / आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करा दिया जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृति रु0 10.00 लाख से ऊपर की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुर्नस्थापना / अनुरक्षण / मरम्मत सम्बन्धी परियोजनाओं के स्वीकृत प्रस्तावों पर व्यय किया जाय। जिलाधिकारी विभाग की मांग प्रस्ताव के आधार पर धनराशि उपलब्ध करायेगें तथा इस धनराशि का प्रयोग केवल संलग्न परियोजनाओं की सूची में उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जा सकेगा। अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नहीं हुई हो।

8. उक्त स्वीकृत धनराशि से कार्य कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेंगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन उपरान्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मस्टररोल, एम बी तथा अन्य



वाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम समायोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक चरण में की गई फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा शासन के राजस्व अनुभाग-10 में भी उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्त कार्यों की एक निदर्शिनी भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में आपदा सम्बन्धी किये गये कार्यों का विवरण हो। इस निदर्शिनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद के वेबसाइट पर भी जनसूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

9. रु0 10.00 लाख से ऊपर की परियोजनाओं को राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया है कि जो परियोजनायें मरम्मत सम्बन्धी हैं, उनके कार्यों का सत्यापन विभागीय प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कराया जाय तथा जिला आपदा राहत समिति एवं जनपद स्तर पर गठित तकनीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही विभाग को धनराशि उस सीमा तक ही तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले पुर्नस्थापना/अनुरक्षण/मरम्मत सम्बन्धी परियोजनाओं पर व्यय हेतु निर्गत की जाय। सम्बन्धित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि उक्त परियोजनाओं में वांछित विभागीय मानकों के अनुरूप वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है।

10. उक्त रिवाँलीडेट एवं स्वीकृत धनराशि में से आहरित की जाने वाली धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग दिनांक 30 जून, 2008 तक अनिवार्य रूप से हो जाय। उक्त अवधि के उपरान्त शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचत सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक 10 जुलाई, 2008 तक शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जाय।

11. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या-जी.आई. 134/1-11-2007-46/97, दिनांक 31 जुलाई, 2007 में इंगित राहत की विभिन्न मदों में आवश्यकता अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

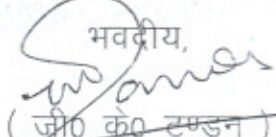
12. आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित कराया जाय एवं व्यय धनराशि का मदवार व्यय विवरण/भौतिक कार्य विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि के व्यय का साप्ताहिक विवरण भी प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध कराया जाय।

13. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।



14. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

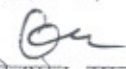
15. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(ज्योती के. दण्डेकर)
ग्रहंत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या - 2812(1)/1-10-2008-12(73)/2008 टीसी, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मण्डलायुक्त, आजमगढ़, बरेली, देवीपाटन, गोरखपुर।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, बरेली, शाहजहाँपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर तथा बलिया।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग -5
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग -6/11/वेबसाइट के उपयोग हेतु।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव

1. जनपद-बरेली

(धनराशि लाख रुपये में)

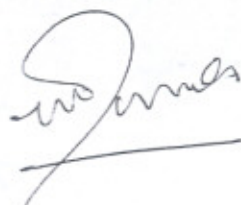
परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	दिनांक 30.6.08 तक रिवाँलीडेट एवं आवंटित धनराशि
जनपद बरेली के तहसील नवाबगंज में ग्राम भौवा बाजार के निकट कैलाश नदी के अतयाधिक पानी के बहाव के कारण तटबंध, स्टड एवं बोल्टर पिचिंग के क्षतिग्रस्त होने के कारण फलड फाइटिंग के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य।	33.89	16.95
रामगंगा नदी के बाये तट पर ग्राम मीरानपुर में निर्मित स्टड नं. 1 के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कटाव पर सुरक्षात्मक कार्य।	24.80	12.40
रामगंगा नदी के बाये तट पर ग्राम काशीपुर में स्टड नं0 4 तथा डैम्पनर नं0 6 एवं स्टड नं0 4 के मध्य कटाव पर सुरक्षात्मक कार्य।	15.36	7.68
योग	74.05	37.03

2. जनपद-शाहजहांपुर

परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	दिनांक 30.6.08 तक रिवाँलीडेट एवं आवंटित धनराशि
गंगा नदी में दिनांक 18.8.2007 को नरौरा के डाउनस्ट्रीम में 278126 क्यूसेक पानी के बहाव के कारण भैंसार ढाई घाट तटबंध में हुई क्षति के कारण फलड फाइटिंग के अन्तर्गत हो रहे कार्य।	296.48	148.24
योग	296.48	148.24

3. जनपद-श्रावस्ती

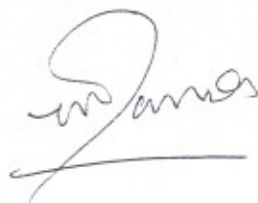
परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	दिनांक 30.6.08 तक रिवाँलीडेट एवं आवंटित धनराशि



राप्ती लिंक चैनल के किमी 0 16.758 में दोनों साइड में बैंक मरम्मत एवं बोल्टर पिचिंग का कार्य।	17.87	4.46
योग	17.87	4.46

4. जनपद-गोरखपुर

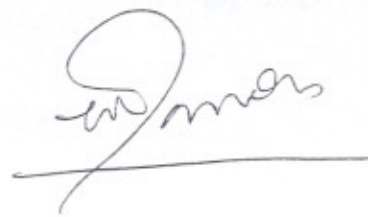
परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	दिनांक 30.6.08 तक रिक्वायर्ड एवं आवंटित धनराशि
कनईल मझगावा बांध के किमी 0 5.450 से 6.125 के मध्य दिनांक 7.9.07 से दिनांक 27.10.07 तक बाढ़ बचाव कार्य।	16.35	11.445
मलौनी बांध के किमी 0 8.40 से 8.90 के मध्य ग्राम डुहिया के पास बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	27.98	19.586
भौवापार बेला बांध के किमी 0 0.0 से 1.325 तक भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त तटबंध के मरम्मत हेतु मिट्टी का कार्य।	27.62	19.334
कोडीराम मलौनी बांध के किमी 0 0.00 से 3.945 के मध्य बोल्टर से स्लोप पिचिंग एवं लाचिंग एग्रन के मरम्मत एवं स्टड के पुनर्स्थापना का कार्य।	68.88	48.216
गजपुर कस्बे के सुरक्षा हेतु किमी 0 0.00 से 0.285 के मध्य बोल्टर से स्लोप पिचिंग एवं लाचिंग एग्रन के मरम्मत एवं स्टड के पुनर्स्थापना का कार्य।	38.61	26.757
मलांव बांध के किमी 0 1.55 से 2.100 के मध्य बोल्टर से स्लोप पिचिंग एवं लाचिंग एग्रन के मरम्मत एवं स्टड के पुनर्स्थापना का कार्य।	52.67	36.869
मलौनी गजपुर बांध के किमी 0 3.00 से 5.10 तक भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त तटबंध के मरम्मत हेतु मिट्टी का कार्य।	28.94	20.258
राजधानी सिलहटा बांध के किमी 0 2.00 से 10.600 के मध्य भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त तटबंध के मरम्मत हेतु मिट्टी का कार्य।	78.53	54.971
इटौवा बांध के किमी 0 7.00 से 10.05 के मध्य भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त तटबंध के मरम्मत हेतु मिट्टी का कार्य।	32.70	22.890
बरहीपाथ बांध के किमी 0 1.00 से 3.00 एवं 8.58 से 11.00 तक भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त तटबंध के मरम्मत हेतु मिट्टी का कार्य।	45.92	32.144
राजधानी सिलहटा बांध के किमी 0 3.710 से 3.	16.74	11.718



935 के मध्य उधवलिया कटान स्थान पर स्लोप पिचिंग एवं लांचिंग एप्रन के क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत का कार्य।		
नेकवार बोहावार बांध के किमी0 4.00 से 7.445 तक मरम्मत हेतु मिट्टी का कार्य।	30.59	21.413
नौव्वा औव्वल रिंग बांध के किमी0 0.22 से 0.507 तक क्षतिग्रस्त भाग के पुनर्स्थापना का कार्य।	48.07	33.649
बरहीपाथ बांध के किमी0 18.10 से 18.365 तक ग्राम लकड़िहवा की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य।	57.33	40.131
कनईल मझगांवा बांध के किमी0 2.20 से 2.50 किमी0 3.40 से 3.80 किमी0 4.00 से 5.80 किमी0 4.60 से 5.80 एवं 6.10 से 6.50 तक क्षतिग्रस्त बांध के मरम्मत का कार्य।	22.97	16.079
मलांव बांध के किमी0 0.00 से 1.20 तक क्षतिग्रस्त बांध के मरम्मत का कार्य।	10.86	7.602
भौवापार बेला बांध के किमी0 3.00 से 5.00 किमी0 10.40 से 12.00 एवं किमी0 14.60 से 15.25 तक क्षतिग्रस्त बांध के मरम्मत का कार्य।	41.81	29.267
बरहीपाथ बांध के किमी0 4.70 से 5.30 तक क्षतिग्रस्त स्लोप पिचिंग एवं लांचिंग एप्रन का कार्य।	22.84	15.988
मलौनी बांध के किमी0 23.300 से 23.56 ग्राम बरसाईत के निकट एप्रन एवं पिचिंग का कार्य।	110.97	77.679
बरहीपाथ बांध के किमी0 11.35 से 14.90 तक मिट्टी का कार्य एवं किमी0 11.35 से 14.60 किमी0 15.60 से 17.50 एवं 18.10 से 18.50 तक ब्रिक सोलिंग का कार्य।	65.55	45.885
बखरिया रिंग बांध के किमी0 0.00 से 1.400 के मध्य भारी वर्षा एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांध के मरम्मत का कार्य।	175.56	122.892
चाफा रिंग बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	31.10	21.770
मलौनी बांध के किमी0 13.900 से 14.200 के मध्य ग्राम मिर्जापुर के पास कटान स्थल पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	46.17	32.319
कौडीराम मलौनी बांध के किमी0 3.325 से 3.750 एवं किमी0 4.250 से 4.400 के बीच (ग्राम सोहगौरा के समीप) बाढ़ सुरक्षा कार्य का परियोजना प्राक्कलन।	160.49	112.020
मलांव बांध के किमी0 2.10 से 2.25 तक (मलाव के समीप) बाढ़ सुरक्षा कार्य	134.37	94.059
राप्ती नदी के बाये तट पर मलौनी बांध के किमी0	32.86	23.002



22.475 से 22.755 तक बम्बू क्रेट, कटर्स एवं किमी0 23.23 से 23.88 तक सुरक्षित क्षेत्र में काउन्टर बर्म का निर्माण।		
जनपद गोरखपुर में कलान नाला के शाखा पर दुबाइन तटबंध के किमी0 0.00 से 0.75 के मध्य बांध की पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	96.27	67.389
मछलीगांव अलगटपुर बांध के किमी0 4.12 से 4.25 के मध्य पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	60.85	42.595
पनघटिया करमैनी बांध के किमी0 0.00 से 4.00 किमी0 4.70 से 6.50 एवं 7.30 से 10.30 के मध्य पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	96.01	67.207
पनघटिया करमैनी बांध के किमी0 0.04 से 0.20 करमैनी बांध के समीप बाढ़ सुरक्षा कार्य का प्राक्कलन।	89.35	62.545
मखनहा बांध के किमी0.60 से 0.80 किमी0 1.20 से 2.45 किमी0 2.95 से 3.85 किमी0 4.30 से 4.90 किमी0 5.45 से 6.20 एवं 7.20 से 10.30 के मध्य पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	78.00	54.600
बढ़या कोठा बांध के किमी0 13.70 ग्राम मीरपुर के समीप पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	42.55	29.785
बेलसर रिगौली बांध के किमी0 10.60 से 12.80 किमी0 14.0 से 15.0 किमी0 17.00 से 18.00 के मध्य पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	93.33	65.330
मखनहा बांध के किमी0 0.00 से 11.15 तक बांध के टाप पर सोलिंग के कार्य का प्राक्कलन।	85.68	59.976
खड़खड़िया एवं गोड़ियाना रिंग बांध के किमी0. 0.00 से 5.20 एवं किमी0 0.00 से 1.15 के मध्य पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	81.83	57.281
बनरहा बांध के किमी0 4.70 से 4.78 एवं 0.50 से 0.70 पर बैंक के पुनर्स्थापना एवं पिचिंग का प्राक्कलन।	51.24	35.868
बेलसर रिगौली बांध के किमी0 19.40 से 19.90 पैकम किमी0 18.125 से 18.20 तक नदी की ओर सुरक्षा कार्य का प्राक्कलन।	93.19	65.233
बढ़या कोठा बांध के ग्राम मीरपुर के पास किमी0 13.45 से 13.50 पर क्षतिग्रस्त स्तर पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	40.27	28.189
मानीराम माधौपुर बांध के किमी0 0.00 से 3.50 एवं 4.50 से 6.50 के मध्य पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	33.06	23.142
पनघटिया करमैनी बांध के ग्राम गायघाट के पास किमी0 3.575 से 3.875 तक स्पर न0 1 से 4 की	97.57	68.299



पुनर्स्थापना के कार्य का प्राक्कलन।		
बेलसर रिगौली बांध के किमी० 24.40 से 25.10 के मध्य के पैकम क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्य का प्राक्कलन।	97.00	67.900
बेलसर रिगौली बांध के किमी० 17.80 से 18.20 एवं 22.60 से 22.90 तक डैम्पनर्स के पुनर्स्थापना का कार्य।	30.58	21.406
पनघटिया करमैनी बांध के किमी० 3.50 पर ग्राम गायघाट के समीप स्पर नं० 5 की पुनर्स्थापना के कार्य का प्राक्कलन।	58.98	41.286
पनघटिया करमैनी बांध के किमी० 10.30 से 15.70 तक के मध्य पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	69.07	48.349
बेलसर रिगौली बांध के किमी० 13.25 से 13.80 एवं 16.40 से 16.60 के मध्य पिचिंग एवं लांचिंग एग्रन एवं डैम्पनर के पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	94.39	66.073
बेलसर रिगौली बांध के किमी० 19.70 से 19.95 एवं किमी० 25.40 से 26.85 के मध्य पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	34.28	23.996
बेलसर रिगौली बांध के किमी० 16.625 से 16.75 तक ग्राम कहरौली के समीप बाढ़ सुरक्षा पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	99.51	69.657
बनरहा बांध के किमी० 1.995 से 2.22 के मध्य पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	14.06	9.842
रिगौली बढ़या बांध के किमी० 3.70 से 6.00 के मध्य पुनर्स्थापना कार्य का प्राक्कलन।	39.89	27.914
बनरहा तटबंध के किमी० 2.90 से 3.04 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की पुनर्स्थापना का प्राक्कलन।	12.54	8.778
बढ़या कोठा बांध के ग्राम तुर्कवलिया के निकट किमी. 8.70 से 8.90 के मध्य लांचिंग एग्रन व डैम्पनर्स के पुनर्स्थापना का प्राक्कलन।	25.24	17.668
माधौपुर बांध के किमी० 0.00 से 3.20 तक नदी की ओर बांध स्लोप पर बोल्टर पिचिंग एवं टी-बाल निर्माण की योजना का प्राक्कलन।	364.00	254.800
मानीराम डोगिनगढ़ तटबंध के किमी० 0.00 से 12.23 के मध्य खड़जा लगाने के कार्य का प्राक्कलन।	94.23	65.961
बढ़या कोठा बांध के किमी० 15.10 से 16.700 के मध्य ग्राम मैनाभागल के पास स्पर नं० 1,2,3 एवं पुराने स्पर के पुनर्स्थापना का परि० प्राक्कलन।	207.00	144.900
बलेसर रिगौली बांध के किमी० 19.00 से 26.850 के मध्य निर्मित रेगुलेटरों के रेस्टोरेशन क्षमता वृद्धि के	64.02	44.814

कार्य का प्राक्कलन।		
बनरहा बांध के किमी० 5.45 से 5.625 पर निर्मित डैम्पनर के लांचिंग एप्रन के पुनर्स्थापना का प्राक्कलन।	10.84	7.428
योग	3781.31	2646.154

5. जनपद-बलिया

परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	दिनांक 30.6.08 तक रिचैलीडेड एवं आवंटित धनराशि
तुर्तीपार-श्रीनगर बांध के किमी० 38.20 पर बाढ़ सुरक्षा कार्य।	12.01	8.407
तुर्तीपार-श्रीनगर बांध के किमी० 68.200 से 69.700 तक पर बाढ़ सुरक्षा कार्य।	20.37	14.259
योग:	32.38	22.666
महायोग:	4202.09	2858.550
(रूपये अटठाइस करोड़ अठावन लाख पचचपन हजार मात्र)		


(जी० के० टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव